न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीनअधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 28 / 2022

अनवान : –

1. कृष्णादेवी पत्नी श्री रिशालसिंह जाति जाट निवासी शेरड़ा त0 भादरा।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री संदीप गौदारा प्रार्थीया
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 22/8/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के खाता सं0 476 / 446 के खसरा सं0 525, 528, 797 की कुल 18.9700है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया के नाम 1 / 18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में कृष्णा दर्ज है।

प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम कृष्णादेवी है जो प्रार्थीया के सभी दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की भूमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रही है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम कृष्णा की जगह कृष्णादेवी पत्नी श्री रिशालसिंह दुरूस्त करवा पाने की प्रार्थीया कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तथा तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट ली गई।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम कृष्णादेवी है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कृष्णा दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है । अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों के आधार पर व तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के अनुसार प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में सही नाम कृष्णादेवी पत्नी रिशालसिंह दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के खाता सं0 476/446 के खसरा सं0 525, 528, 797 की कुल 18.9700है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया के नाम 1/18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी कृष्णा पत्नी रिशालसिंह की जगह कृष्णादेवी पत्नी रिशालसिंह दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक में प्रार्थीया का सही नाम कृष्णादेवी व तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के मुताबिक भी सही नाम कृष्णादेवी दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के खाता सं0 476/446 के खसरा सं0 525, 528, 797 की कुल 18.9700है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया के नाम 1/18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में दर्ज कृष्णा पत्नी रिशालसिंह की जगह प्रार्थीया का सही नाम कृष्णादेवी पत्नी रिशालसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि कृष्णा पत्नी रिशालसिंह के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम कृष्णा पत्नी रिशालसिंह ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 22/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)